

प्रेषक: वरिष्ठ नगर योजनाकार,
हिसार परिमण्डल, हिसार।

सेवा में,

M/s. रतन सिंह मैमोरियल शिक्षा समिति,
चरखी दादरी जिला भिवानी

यादि क्रमांक/92

दिनांक 25-1-2010

विषय:- अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे- M/s. रतन सिंह मैमोरियल
शिक्षा समिति, चरखी दादरी जिला भिवानी

हवाला:- जिला नगर योजनाकार भिवानी कार्यालय के यादि क्रमांक 2846
दिनांक 18-12-2009 एवम् यादि क्रमांक नम्बर 117 दिनांक
18-01-2010 के सन्दर्भ में।

विषयक सन्दर्भ में अवगत करवाया जाता है कि जिला नगर योजनाकार भिवानी के कार्यालय के पत्रों के अन्तर्गत जो रिपोर्ट एवम् दस्तावेज इस कार्यालय में प्राप्त हुए हैं के अनुसार विषयक स्थल खसरा नम्बर 6/20/2/1, 21, 21/6, 7/16/2, 25/2, 17/1/2, 25/1, 15/5/2/2, 16/1/2, 2/2, 9/1/1, 10/1/1, 2/3, 22/2/3, 23/2/2 कुल भूमि 24 कनाल 9 मरला मौजा दादरी में आर्यनस माडल वरिष्ठ माध्यमिक विधालय धिकाड़ा रोड़, चरखी दादरी में स्कूल बनाने/चलाने हेतु आवेदन किया है। जिला नगर योजनाकार भिवानी स्थल शहरी क्षेत्र अर्बन एरिया दादरी में पड़ता है एवम् इस विभाग के नियंत्रित क्षेत्र में नहीं पड़ता। आवेदक ने भूमि 99 साल पट्टानामा पर ली है। स्थल को पहुंच दादरी से धिकाड़ा 44 फुट चौड़ी सड़क से उपलब्ध है जो कि प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अनुसूचित सड़क नहीं है। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार इस विभाग के घोषित अधिनियम 1975 की धारा का उल्लंघन नहीं माना है जो कि उचित प्रतीत होता है।

अतः प्राप्त रिपोर्ट एवम् दस्तावेजों के मध्यगजर विषयक स्थल पर संस्था द्वारा वरिष्ठ माध्यमिक विधालय बनाने/चलाने के लिए निम्नलिखित शर्तों के आधार पर इस कार्यालय को कोई आपति नहीं है।

पेज जारी 2

1. यह अनापति प्रमाण पत्र विषयक स्थल पर लागु अन्य विभागों के एक्टस एवं धाराओं से छूट प्रदान नहीं करता है।
2. विषयक स्थल के नियन्त्रित क्षेत्र में आ जाने पर नियन्त्रित क्षेत्र से सम्बन्धित नियम एवम् कानून लागु होंगे।
3. विकास शुल्क एवम् अन्य कोई राशि इस विभाग द्वारा मांगे जाने पर 30 दिन के अन्दर-अन्दर देय होगी।
4. आवेदित स्थल से सम्बन्धित पहुंच एवम् दूरिया सम्बन्धित विभाग द्वारा चैक एवम् तसदीक किये जायेंगे।
5. उपरोक्त किसी भी शर्त को पूरा ना किये जाने की हालत में ये अनापति प्रमाण पत्र अपने आप रद्द हो जायेगा।


वरिष्ठ नगर योजनाकार,
हिसार परिमण्डल, हिसार।

प्र0क्र0

दिनांक

प्रति निम्नलिखित को हवालाधीन पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

1. वरिष्ठ नगर योजानकार, ई एण्ड वी, हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. जिला नगर योजनाकार, भिवानी को उनके हवालाधीन पत्र के सन्दर्भ में।


वरिष्ठ नगर योजनाकार,
हिसार परिमण्डल, हिसार।